HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16273/2025

Rohitash S/o Late Shri Vijendra, Aged About 25 Years, R/o Phalipura, PS Hindon, District Kaurali. At Present Village Ramsar, Palawala, Ps Kanota, District Jaipur, Rajasthan. At Present Confined Central Jail Jaipur Metropolitan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sumer Saini
For Respondent(s)	:	Mr. Rhishiraj Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– कानोता, जिला– जयपुर सिटी (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 804/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण के संदर्भ में जमानत याचिकाएं संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के उपरांत अभी तक 4 साक्षीगण के कथन अभियोजन पक्ष द्वारा लेखबद्ध कराए गए हैं। प्रकरण में मृतक के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.08.2023 को पंजीबद्ध कराई गई है और उक्त रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख है कि एक अज्ञात खोपड़ी मिली और मकान के अंदर एक कमरे में क्षत–विक्षत शरीर की लाश मिली। इस संदर्भ में उनका तर्क है कि प्रकरण में

प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में संबद्ध करने के संदर्भ में संपूर्ण साक्ष्य परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है और ऐसी कोई ठोस परिस्थितियां अभिलेख पर नहीं हैं, जिससे यह कहा जा सके कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर मृतक की हत्या कारित की हो। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से जो हथियार की बरामदगी तथाकथित रूप से दर्शित की गई है, उक्त बरामदगी स्थल से अन्य सहअभियुक्त से पूर्व में एक कुल्हाड़ी कि बरामदगी की गई थी और उसी स्थान से अगले दिन प्रार्थी/अभियुक्त से भी कुल्हाड़ी की बरामदगी दर्शित की गई है, जो अपने आपमें विश्वसनीयता नहीं रखती है। मृतक की शिनाख्तगी के संदर्भ में भी कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.08.2023 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मृतक विष्णु को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाकर पूर्व में अन्य सहअभियुक्त की उससे रंजिश होने के कारण उसे शराब पिलाई और तदुपरांत कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। प्रकरण में परिस्थितिजनक साक्ष्य के रूप में मृतक को अंतिम बार देखने के संदर्भ में साक्षी रामजीलाल के कथन अभिलेख पर हैं और उसके न्यायालय के समक्ष अभी तक कोई बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुई है और अभी तक उसकी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त लाश की शिनाख्तगी हेतु रक्त के सैंपल लेकर उनको डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसकी अभी तक रिपोर्ट लंबित है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आश्रित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद होना दर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार गवाहों द्वारा देखना बताया गया है। उक्त गवाहान के बयान भी अभी संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया जाना शेष हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रोहिताश पुत्र स्व. श्री विजेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 6